प्रकरण सं. 132/12. निर्णय 3.9.19
मैनूद्दीन vs. जमील खां आदि

4.4.19

पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री ओ. सक्सेना RLW बेंच के जवाब हेतु
पत्रावली पेश हो।
18.6.19

18.6.19 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री ओ. सक्सेना अन्य कार्यों व्यस्तता के कारण उपस्थित। जवाब हेतु
पत्रावली पेश 27.9.19 को पेश हो।

27/9/19

3/9/19

वादी ~~प्रतीक्ष वादी एवं वादी की पत्नि के निवेदन पर पत्रावली पेश में ली गई एवं निवेदन किया की वादी का देहान्त हो चुका है इसलिये दावा अबेट हो चुका है वाद खारिज फरमाया जावे।~~

~~पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार वादी का देहान्त 18/11/2016 को हो चुका है। मृतक का वाद विचारधीन नहीं रह सकता है अर्थात अबेट हो चुका है लेख की उलटी पत्रि समय दावा अबेट करवाना चाहती है अतः वादी की मृत्यु होने के कारण वाद अबेट होने के कारण खारीज किया जाति है पत्रावली दाखिले दफ्तर हो।~~

आदेश घोषित बैजासरा सुनाया गया।

विधीमा

उपखण्ड अधिकारी रानापुर
जोहट